भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या–3011
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

3011. **श्री सुधीर गुप्ताः**
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाणः
श्री जी.एम. हरीश बालयोगीः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए हाल ही में प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) नियम में संशोधन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) मौजूदा पीबीबीवाई में दिए गए लाभों तथा संशोधित पीबीबीवाई के तहत प्रस्तावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विदेश जाने वाले प्रवासियों के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है ताकि वे उक्त योजना का आसानी से लाभ उठा सकें और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। 1 अगस्त, 2017 से प्रभावी संशोधित पीबीबीवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप सहित अन्य देशों में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर और ईसीएनआर दोनों प्रकार के पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है तथा दो वर्षों के लिए 275 रुपये या तीन वर्षों की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है।

पीबीबीवाई योजना को अंतिम बार 2017 में संशोधित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी कामगारों के लिए लाभ का विस्तार करना था। इस संसोधन ने हमारे कामगारों के लाभ के लिए दावों के निपटान को सरल बना दिया है और इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

पीबीबीवाई की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं –

(i) बीमा के दौरान दुर्घटनावश पहुंची क्षति और/या बीमारी/व्याधियों/रोग के कारण आपातकालीन स्थिति में बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 1 लाख रुपये (प्रति अस्पताल में भर्ती होने पर पचास हजार रुपये), चाहे वह भारत/तीसरे देश में हो या उसके रोजगार के देश में हो तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर के परिवहन की लागत के अतिरिक्त, बीमित व्यक्ति के पते के निकटतम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक के इकॉनोमी क्लास में वापसी हवाई यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। बीमित व्यक्ति की स्थायी विकलांगता की स्थिति में, बीमित व्यक्ति के पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक का इकॉनमी क्लास का वापसी हवाई यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।

(iii) यदि बीमित व्यक्ति बीमार हो जाता है या काम शुरू करने या जारी रखने या फिर से शुरू करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है और बीमा कवर लेने के पहले बारह महीनों के भीतर विदेशी नियोक्ता द्वारा सेवा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति के पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वास्तविक एकतरफा इकोनॉमी क्लास हवाई किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि प्रत्यावर्तन के लिए आधार संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा प्रमाणित हो और हवाई टिकट मूल रूप में प्रस्तुत किए गए हों।

(iv) विदेश में अपने कार्यस्थल या गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, यदि नियोक्ता द्वारा प्रवासी कामगारों के न मिलने पर या यदि नौकरी/रोजगार अनुबंध/करार में बीमित व्यक्ति के लिए अलाभकारी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, या यदि प्रवासी की कोई गलती न होने पर भी रोजगार की अवधि के भीतर समय से पहले रोजगार समाप्त कर दिया जाता है, तो बीमाधारक को उसके द्वारा दिए गए पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का एकतरफा इकोनॉमी क्लास हवाई किराया भी बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा।

(v) इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया बीमा, महिला प्रवासियों को मातृत्व लाभ भी प्रदान करेगा, जो प्रति पॉलिसी अवधि में सामान्य प्रसव के मामले में न्यूनतम 35 हजार रुपए तथा सिजेरियन ऑपरेशन के मामले में 50 हजार रुपए तक होगा।

(vi) भारत में प्रवासी कामगारों का परिवार, जिसमें पति/पत्नी तथा इक्कीस वर्ष की आयु तक के पहले दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, बीमित व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान अधिकतम पचास हजार रुपये प्रति वर्ष अस्पताल में भर्ती होने संबंधी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(vii) किसी बीमित व्यक्ति को उसके रोजगार से संबंधित किसी मुकदमे में उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्च के संबंध में पैंतालीस हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(viii) वर्ष 2006-07 से 30 जून, 2024 तक 78 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। इस अवधि के दौरान 3160 दावे प्राप्त हुए और 2185 का निपटान किया गया। विस्तृत विवरण अनुबंध –क में उपलब्ध है।

(ड.) प्रवासी कामगारों को प्रदान किया जाने वाला प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) न केवल भावी प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य देश की संस्कृति को जानने, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूक प्रदान करता है, बल्कि पीबीबीवाई योजना और इसके लाभों के बारे में भी जागरूक करता है।पीबीबीवाई योजना ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर श्रेणी के कामगारों के लिए अनिवार्य होने के साथ-साथ रोजगार के लिए विदेश जाने वाले सभी श्रेणी के कामगारों के लिए भी उपलब्ध है।

*****

अनुबंध –क

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

प्राप्त दावों /निपटाए गए दावों का वर्ष वार ब्यौरा

वर्ष	प्राप्त दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की संख्या
2006-07	**181**	**58**
2007-08	**149**	**33**
2008-09	**270**	**148**
2009-10	**134**	**155**
2010-11	**153**	**169**
2011-12	**189**	**183**
2012-13	**225**	**196**
2013-14	**267**	**225**
2014-15	**368**	**336**
2015-16	**247**	**221**
2016-17	**194**	**109**
2017-18	**204**	**89**
2018-19	**118**	**81**
2019-20	**91**	**37**
2020-21	**72**	**38**
2021-22	**89**	**54**
2022-23	**107**	**26**
2023-24	**73**	**22**
2024-25	**29**	**5**
कुल	**3160**	**2185**

*****